पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2013 का आपराधिक विविध सं. 37562

थाना केस सं.- शून्य वर्ष- शून्य थाना- शून्य; जिला- वैशाली (हाजीपुर) से उत्पन्न

==========

1. संजीव प्रसाद पिता- रामवृक्ष प्रसाद वर्तमान पता प्लॉट संख्या 66ए, कमल बाग कॉलोनी, वाघोली, पी. एस.-लामीकंद, पुणे, महाराष्ट्र।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. श्रीमती. मंजू सिंह, पत्नी- स्वर्गीय नारद सिंह प्रबंध निदेशक, एन. एम. सुरक्षा सेवा, पता और कार्यालय- सामुदायिक भवन, दुकान संख्या 11, रामबलक चौक, डाकघर + थाना-हाजीपुर टाउन, जिला-वैशाली।

.....प्रतिवादी पक्षें

==========

दंड प्रक्रिया संहिता - धारा 482

भारतीय दंड संहिता - धारा 418

याचिकाकर्ता विपक्षी संख्या- 2 (परिवादी) द्वारा लाये गये परिवाद का अभियुक्त है। याचिकाकर्ता के कम्पनी और परिवादी के कम्पनी के बीच सुरक्षा मुहैया कराने का अनुबंध था। परिवादी के कंपनी के गार्ड द्वारा चुक के कारण याचिकाकर्ता के कम्पनी में दो बार चोरी हो गयी, जिसके कारण याचिकाकर्ता के कंपनी ने 40,000/- तथा 23,077/- रुपये सुरक्षा गार्ड के वेतन से काट लिया। उसके बाद परिवादी के कम्पनी ने कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस का जवाब याचिकाकर्ता के कम्पनी के द्वारा दिया गया।

पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एस.सी.सी. 749 पर भरोसा किया गया।

निर्णित किया गया कि अभियोजन याचिका के अवलोकन मात्र से यह प्रतीत नही होता है कि अनुबंध की शुरुआत से ही याचिकाकर्ता का बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा था। इसलिये *तय किये गये सिद्धांत के अनुसार, याचिकाकर्ता पर कंपनी के कार्य के लिये आपराधिक मुकदमा नही चलाया जा सकता है क्योंकि ऐसे मामले में प्रत्यावर्ती दायित्व के संबंध में कोई कानून नही है।* इसलिए, आक्षेपित आदेश कानूनन दूरुस्त नही है।

(पारा 2,3,5,6 और 7)

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2013 का आपराधिक विविध सं. 37562

थाना केस सं. - शून्य वर्ष - शून्य थाना - शून्य; जिला - वैशाली (हाजीपुर) से उत्पन्न

==========

1. संजीव प्रसाद पिता- रामवृक्ष प्रसाद वर्तमान पता प्लॉट संख्या 66ए, कमल बाग कॉलोनी, वाघोली, पी. एस.-लामीकंद, पुणे, महाराष्ट्र।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. श्रीमती. मंजू सिंह, पत्नी- स्वर्गीय नारद सिंह प्रबंध निदेशक, एन. एम. सुरक्षा सेवा, पता और कार्यालय- सामुदायिक भवन, दुकान संख्या 11, रामबलक चौक, डाकघर + थाना-हाजीपुर टाउन, जिला-वैशाली।

.....प्रतिवादी पक्षें

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अवधेश कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ताः श्री सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता

==========

गणमूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री बीरेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक: 14-09-2017

1. याचिकाकर्ता, राज्य और विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. याचिकाकर्ता विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा लाए गए 2012 के परिवाद मामले सं. 2981 में आरोपी है। दिनांक 20.06.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ, उपरोक्त शिकायत मामले में श्री राजीव रंजन सिंह, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, 1 वर्ग, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 418 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया गया था।

3. शिकायत याचिका से पता चलेगा कि शिकायतकर्ता राष्ट्रीय बहुउद्देशीय सुरक्षा सेवा, एक पंजीकृत सोसायटी का प्रबंध निदेशक है। यह जरूरतमंद संस्थानों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता की कंपनी ए. एफ. पी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सहमत मासिक परिलब्धियों पर अनुलग्नक-3 में वर्णित समझौता के तहत सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए शिकायतकर्ता-कंपनी के साथ एक समझौता किया। वर्ष 2012 में समझौते के निर्वाह के दौरान याचिकाकर्ता की कंपनी के परिसर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की गई थी। कंपनी ने सुरक्षाकर्मी की चूक के लिए Rs.40,000/- की कटौती की। बाद में, फिर से चोरी की गई और फिर से Rs.23,077/- याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा सुरक्षाकर्मियों के वेतन से काट लिया गया। इस बार शिकायतकर्ता की कंपनी याचिकाकर्ता की कंपनी को कानूनी नोटिस भेजती है जहां

याचिकाकर्ता प्रबंधक एच. आर. एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। कानूनी नोटिस का जवाब याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का याचिकाकर्ता के मामले में निवेदन है कि संसदीय कानून तब तक प्रत्यावर्त्ती दायित्व को निर्धारित नही करता जब तक यह विधि द्वारा निर्धारित नही हो जाता जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एस.के. अवध बनाम उत्तर प्रदेश सरकार,** सूचित **(2008) 5 उच्चतम न्यायालय केस 662** में निर्धारित हुआ था। कंपनी के खिलाफ वर्तमान मामले का संज्ञान नहीं लिया गया है और कंपनी के कार्य के लिए याचिकाकर्ता को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से इस स्वीकृत स्थिति को देखते हुए कि समझौता वर्ष 2011 में किया गया था; जबकि याचिकाकर्ता ने (अनुलग्नक-2 के माध्यम से) वर्ष 2012 में प्रबंधक मानव संसाधन और प्रशासन के रूप में अपने कार्यालय में प्रवेश किया। उनका आगे का तर्क यह है कि आक्षेपित आदेश न्यायिक समझ के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है।

5. विरोधी पक्षों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता प्रबंधक, मानव संसाधन और प्रशासन का पद धारण कर रहा है, इसलिए वह शिकायतकर्ता के सुरक्षा कर्मी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता पक्षों के बीच समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और वह समझौते के बाद अपनी कंपनी के कार्यालय में शामिल हो गया। इसके अलावा, कथित कार्य याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करता है।

पेप्सी **फूड्स लिमिटेड बनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट, (1998)5 एस.सी.सी. 749** में प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त को समन करते समय मजिस्ट्रेट के कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की;

"आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक प्रक्रिया को रोजमर्रा कार्य केतरह प्रचलित नही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को आपराधिक प्रक्रिया को प्रचलित करने के लिए परिवाद में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल दो गवाहों को लाना पड़ता है। अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना विवेक का इस्तेमाल किया है। उन्हें परिवाद में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्य की जांच करनी होगी, कि क्या यह शिकायतकर्ता के लिए अभियुक्त पर आरोप साबित करने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को बुलाने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करते समय मूक दर्शक होता है। मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और वह स्वयं भी शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से सवाल कर सकते हैं ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके या अन्यथा और फिर यह जांच की जा सके कि क्या कोई अपराध सभी या किसी भी आरोपी द्वारा किया गया है।"

6. उपरोक्त कानून के साथ-साथ इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का जिरह यथार्थ प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायिक समझ का ध्यान रखे बिना संज्ञान लिया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता अपनी कंपनी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। यह मामला पक्षकारों के बीच समझौते के अनुसरण में याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा गैर-कार्यायन के आरोप से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर संपत्ति सौंपने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 418 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होता है।

7. अभियोग याचिका के अवलोकन मात्र से यह प्रतीत नहीं होता है कि संविदा की शुरुआत से ही याचिकाकर्ता का बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा है। इसलिए तय किए गए सिद्धांत के अनुसार, याचिकाकर्ता पर कंपनी के कार्य के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में प्रत्यावर्ती दायित्व के संबंध में कोई कानून नहीं है। इसलिए, आक्षेपित आदेश कानूनन दुरस्त नहीं है। तदनुसार, इसे रद्द कर दिया जाता है और आवेदन की अनुमति दी जाती है।

(बीरेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

एमकेआर/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।